भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1277
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: फसल अवशेष प्रबंधन
1277. श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली राज्यों में फसल अवशेषों के तत्स्थानिक प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने' संबंधी योजना की स्थिति क्या है;
(ख) क्या कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से हतोत्साहित करने के लिए उत्तरी राज्यों में किसानों को वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन समाधान प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या केवीके ने पराली जलाने की समस्या का सामना करने वाले क्षेत्रों में स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकी या ज्ञान मॉड्यूल के लिए मूल्यांकन सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल की कटाई और अगली रबी फसल की बुवाई के बीच कम समय होने के कारण मुख्य रूप से धान की पराली जलाने का प्रचलन है। इन राज्यों के प्रयासों में सहयोग करने, धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निजात पाने और फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान "पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम चलाई है। इस स्कीम को वर्ष 2023-24 से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के साथ विलय कर दिया गया है और अब इसे केंद्र और राज्य के बीच निधि शेयर के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की केंद्र प्रायोजित स्कीम के घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमियों (ग्रामीण युवा और उद्यमी के रूप में किसान), किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और पंचायतों को 80% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह स्कीम फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीनों और उपकरणों जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल, क्रॉप रीपर व रीपर बाइंडर फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए और आगे बाह्य-स्थाने उपयोग हेतु फसल अवशेषों के संग्रहण के लिए बेलर और स्ट्रॉ रेक के उपयोग को बढ़ावा देती है। धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें उच्च एचपी ट्रैक्टर, कटर, टेडर, मध्यम से बड़े बेलर, रेकर, लोडर, ग्रैबर और टेलीहैंडलर जैसी मशीनरी और उपकरण शामिल हैं।

(ख) से (घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने धान की पराली के त्वरित अपघटन के लिए पूसा बायो-डीकंपोजर, जो फंगल प्रजातियों (तरल और कैप्सूल दोनों रूपों में) का एक माइक्रोबियल कंसर्टियम है, विकसित किया है। इस कंसर्टियम के उपयोग से लगभग 20-25 दिनों में ही धान की पराली के खेत में सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) ने फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए पूसा डीकंपोजर को बढ़ावा देने के लिए किसानों के खेतों पर 8803 प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केवीके ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु विभिन्न तकनीकों का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किए हैं ताकि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए उनकी स्थान विशिष्टता का पता लगाया जा सके। इस आकलन से पता चलता है कि खड़ी पराली में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के साथ गेहूं की बुवाई के परिणामस्वरूप गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हुई और धान की पराली के स्व-स्थाने प्रबंधन में सहायता मिली। आकलन के निष्कर्षों के आधार पर जागरूकता, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

****